जारी 12/7/2024

जारी 12-07-2024

संख्या-601/39-4-2024/10(3)/2018

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उ0प्र0, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक : 12 जुलाई, 2024

विषय - उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान(मु0) भवन, लखनऊ में स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों के रिपेयरिंग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यदायी संस्था को अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (मु0) के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-पी-118/2020, दिनांक 23.02.2024, समसंख्यक पत्र क्रमशः दिनांक 13.03.2024, दिनांक 03.04.2024 एवं दिनांक 08.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता मुख्यालय भवन स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों के रिपेयरिंग के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 31,69,000.00(इकतीस लाख उनहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104 सतर्कता-04-सतर्कता निदेशालय-29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 30,00,000.00/-(रूपये तीस लाख) मात्र, जिसे शासनदेश सख्या-485/39-04-2024-001-05-02-2024 दिनांक 15.04.2024 द्वारा निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखा गया है, से उक्त लागत की 40 प्रतिशत की धनराशि रू0 12,67,600.00 (रू0 बारह लाख सरसठ हजार छः सौ) मात्र का अग्रिम भुगतान कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरांत ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

SVD INV

(3) प्रक्योरमेंट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर- 11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के संबंध में निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही संगत नियमों के अधीन करेगें।

(4) अनुमन्य की जा रही उक्त धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाउंट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्य रूप से संगत नियमों के अधीन करा लिया जायेगा तथा कृत कार्यवाही से शासन को एवं वित्त विभाग को संसूचित भी किया जायेगा।

(6) प्रदान की जा रही उक्त स्वीकृति का व्यय एवं आहरण वित्तीय हस्त पुस्तिका के संगत प्राविधानों तथा वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों/आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासनदेश सख्या-485/39-04-2024-001-05-02-2024 दिनांक 15.04.2024 में अंकित नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अग्रिम आहरण की धनराशि के सम्बन्ध में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-17/2017/ए-1-2017/दस-2017-10(55)/2017 दिनांक 15.11.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-12-62-X-2024-25, दिनांक 11.07.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ram Nagina Maurya

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या-601(1)/39-4-2023 तददिनांक। Date: 12-07-2024 18:18:15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार(आडिट) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12।
(4) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(6) आदेश पुस्तिका।
(7) कम्प्यूटर सहायक को शासनादेश अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

SVD INV